राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक / अधिवक्ता का नाम
1.	1309 / 2020 टोडरमल	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर। 2. पुलिस महानिरीक्षक, जयपुर – रेंज जयपुर सह अध्यक्ष, हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति के लिए गठित चयन समिति, जिला सीकर। 3. जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर। 4. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री पूरणमल, कांस्टेबल बैल्ट नं. 931 C/o जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर। 5. श्री सुल्तान सिंह पुत्र श्री भागीरथमल, कांस्टेबल बैल्ट नं. 937 / 6767 C/o जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर। 6. श्री सांवरमल पुत्र श्री टीकूराम महला कांस्टेबल बैल्ट नं. 940 C/o जिला पुलिस अधीक्षक, सीकर।	26.10.2020	श्री आमीन अली, अभिभाषक एवं श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
2.	1310 / 2020 सुरेन्द्र कुमार			
3.	1311 / 2020 काना राम			

आदेश की दिनांक : 19.10.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1310 / 2020 सुरेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि आलोच्य अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 14.10.2020 के द्वारा कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद के लिए जो अभ्यर्थी पीसीसी के लिए चयनित किए गए हैं, को वर्तमान प्रकरण निर्णित होने तक उसकी अग्रिम कार्यवाही को रोके जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर जिला सीकर में हुई थी। आदेश दिनांक 20.02.2020 के द्वारा कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध

पदोन्नति हेतु सूचित किया गया, जिसके क्रम में योग्यात्मक परीक्षा का आयोजन के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना दी गई और योग्य अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 04.03.2020 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी ने भी आवेदन किया और योग्य सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 41 पर अंकित किया गया। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 4, 5 एवं 6 का नाम योग्य अभ्यर्थियों की सूची में क्रम संख्या 46, 47 एवं 50 पर अंकित किया गया, जिन्हें अपीलार्थी के बाद दर्शाया गया। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य था, जिसमें आउटडोर और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी और पूरी परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य था, जिसमें लिखित परीक्षा, आउटडोर परीक्षा एवं रिकार्ड तथा इंटरव्यू सम्मिलित थे और इस प्रकार 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी पीसीसी चयन के लिए हकदार थे, जिसमें अपीलार्थी भी एवं उससे कनिष्ठ कार्मिक उक्त परीक्षा में सम्मिलित हुए। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 26.08.2020 में अपीलार्थी का नाम सफल घोषित किया गया। तदुपरान्त आउटडोर परीक्षा एवं इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उनका कथन है कि अपीलार्थी उक्त परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर हैड कांस्टेबल के पद के लिए पदोन्नति प्राप्त करने का हकदार है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 14.10.2020 अंतिम चयन सूची पीसीसी हेतु जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम नहीं जोड़ा गया और प्रत्यर्थी संख्या 4, 5 एवं 6 का नाम क्रम संख्या 15, 16 एवं 17 पर दर्शाया गया। जबकि वो अपीलार्थी से कनिष्ठ थे, जो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के विरूद्ध है। उनका कथन है कि यदि अपीलार्थी को इंटरव्यू में एक भी अंक नहीं दिया जावे, तब भी अपीलार्थी ने 155.25 अंक प्राप्त किए हैं, जो चयन हेतु न्यूनतम अंक से अधिक है। फिर भी प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के नाम पर पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि आलोच्य अंतिम वरिष्ठता सूची दिनांक 14.10.2020 के द्वारा कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद के लिए जो अभ्यर्थी पीसीसी के लिए चयनित किए गए हैं, को वर्तमान प्रकरण निर्णित होने तक उसकी अग्रिम कार्यवाही को रोके जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल पदोन्नति

परीक्षा वर्ष 2017–18 में स्थायी आदेश संख्या 11/2020 के आधार पर संपादित की गई। अपीलार्थी ने लिखित परीक्षा में 150 अंक में से 62 अंक प्राप्त किए, जो निर्धारित 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर अपीलार्थी को उत्तीर्ण घोषित कर आउटडोर परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया। तत्पश्चात् आउटडोर परीक्षा में पूर्णांक 75 अंक में से 29 अंक प्राप्त किए, जो निर्धारित 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने पर चयन बोर्ड द्वारा असफल घोषित किया गया, जिससे अपीलार्थी को हैड कांस्टेबल पद की चयन सूची में सम्मिलित न कर कनिष्ठ अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित अंक प्राप्त करने पर चयन सूची में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर जिला सीकर में हुई थी। आदेश दिनांक 20.02.2020 के द्वारा कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध पदोन्नति हेतु सूचित किया गया, जिसके क्रम में परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों की सूची दिनांक 04.03.2020 को जारी की गई, जिसमें अपीलार्थीगण का नाम अंकित किया गया। उक्त योग्यात्मक परीक्षा में अपीलार्थीगण से कनिष्ठ कार्मिक भी उक्त परीक्षा में सम्मिलित हुए। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 14.10.2020 अंतिम चयन सूची पीसीसी हेतु जारी की गई, जिसमें अपीलार्थीगण का नाम नहीं जोड़ा गया और प्रत्यर्थी संख्या 4, 5 एवं 6 का नाम क्रम संख्या 15, 16 एवं 17 पर दर्शाया गया। जबकि वो अपीलार्थीगण से कनिष्ठ थे। जहां तक अपीलार्थीगण को पीसीसी हेतु चयन सूची में नाम अंकित नहीं किए जाने एवं अयोग्य घोषित किए जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षा में निर्धारित अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। जबकि अपीलार्थीगण ने लिखित परीक्षा में कुल पूर्णाक में से 40 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जिसमें उन्हें लिखित परीक्षा में सफल घोषित किया गया, परंतु आउटडोर परीक्षा में अपीलार्थीगण ने पूर्णांक 75 में से निर्धारित 40 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं किए जाने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। इसी प्रकार अपीलार्थी श्री टोडरमल द्वारा लिखित एवं आउटडोर परीक्षा कुल पूर्णांक 225 अंक में से 94 अंक प्राप्त किए हैं। जबकि निर्धारित 45

प्रतिशत अंक (101.25) प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसके कारण निर्धारित प्राप्त न किए जाने के कारण अयोग्य घोषित किया गया। परंतु अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों को उक्त परीक्षा में निर्धारित अंक पाए जाने पर सफल घोषित किया गया और पीसीसी हेतु चयनित किया गया। इस प्रकार हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थीगण के संबंध में जारी किया गया परिणाम उचित एवं नियमानुसार सही प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना प्रकट नहीं होता है। अतः उक्त तर्कों में हमें कोई बल प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अपीलार्थीगण की अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज की जाती हैं। तथा अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 06.11.2020 का प्रावकाश (vacate) किया जाता है।

मूल आदेश अपील संख्या 1310/2020 सुरेन्द्र कुमार बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य